

आडिट

1. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 64 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक सहकारी समिति का प्रत्येक सहकारी वर्ष में आडिट किये जाने का प्राविधान है । धारा 64 (1) निम्न प्रकार है :-

“ निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति प्रत्येक सहकारी समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार करेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा करायेगा जिसे तद्रर्थ लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा तद्रर्थ निर्दिष्ट की जायें ” ।

2. राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 9166 सी/12-सी-ए-5 (3) -70 दिनांक 29.3.1971 के द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ, एवं पंचायतें उ.प्र. को निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश की सहायतार्थ नियुक्त किया है तथा इन्हें सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 64 की उप धारा (1) के सम्बन्ध में निबन्धक के अधिकार प्रदान किये हैं । मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी संगठन, जिसके प्रत्येक जनपद में जनपदीय कार्यालय एवं मण्डलीय स्तर पर मण्डलीय कार्यालय हैं, के द्वारा सहकारी समितियों का आडिट किया जाता है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों का मुख्यालय इन्दिरा भवन, नवमः तल, लखनऊ में स्थित है । मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतें शासन के वित्त विभाग के अधीन है एवं इनके द्वारा सहकारी समितियों के आडिट करने के उपरान्त आडिट रिपोर्ट सहकारी समितियों /संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाती है । गबन/गम्भीर अनियमितताओं की दशा में लेखापरीक्षक, लेखा परीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात विशिष्ट आडिट प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 215 के अन्तर्गत निबन्धक, सहकारी समितियाँ को गोपनीय आवरण में प्रस्तुत करेगें ।

3. सहकारी समितियों/संस्थाओं के सुचारु रूप से आडिट कराने एवं आडिट प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध तरीके से कराये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता,उ.प्र.एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से परिपत्र संख्या सी -30/आडिट-गबन/ दिनांक 05.03.2002 निर्गत किया गया है ।

4. सहकारी समितियों के सामयिक आडिट रिपोर्ट के परिपालन का दायित्व सहकारी समिति का है, परन्तु गबन एवं गम्भीर अनियमितताओं की दशा में निर्गत विशिष्ट आडिट प्रतिवेदन पर आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ.प्र. द्वारा जॉचोंपरान्त अपराधिक, प्रशासनिक एवं अधिभार आदि की कार्यवाही की जाती है। सहकारिता विभाग द्वारा विशिष्ट आडिट प्रतिवेदनों के परिपालन हेतु शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है । गत 7

वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत विशिष्ट आडिट प्रतिवेदनों का परिपालन निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	वर्ष में निर्गत विशेष आडिट प्रतिवेदन	वर्ष में परिपालित विशेष आडिट प्रतिवेदन
2010-11	157	308
2011-12	105	223
2012-13	66	153
2013-14	53	89
2014-15	61	55
2015-16	32	58
2016-17	95	101
2017-18 (अगस्त17)	29	39

5. दिनांक 01.04.2017 (वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में) को 115 विशिष्ट आडिट प्रतिवेदन निस्तारण हेतु लम्बित थे माह अगस्त 2017 तक 29 विशिष्ट आडिट प्रतिवेदन प्राप्त हुए इस प्रकार कुल 144 लम्बित विशिष्ट आडिट प्रतिवेदनों के विरुद्ध माह अगस्त 2017 तक मात्र 39 विशिष्ट आडिट प्रतिवेदनों का निस्तारण किया गया है। जिसमें पूर्व के वर्षों में प्राप्त विशिष्ट आडिट प्रतिवेदन भी सम्मिलित हैं।

6. किस से सम्पर्क करें :-

परिपत्र सं०: सी-30/आडिट-गबन/ दिनांक 5.3.2002 के अनुसार जिला सहायक निबन्धक आडिट होने वाली समितियों की सूची, जिला लेखा परीक्षाधिकारी को उपलब्ध करायेगें अतः समिति सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,सहकारिता/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी से समिति के वार्षिक आडिट पूर्ण करने हेतु सम्पर्क कर सकती है।

7. आडिट फीस :- आडिट हेतु फीस का निर्धारण उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 222 के अन्तर्गत आडिटर द्वारा किया जाता है एवं समिति द्वारा आडिट फीस के निर्धारण पर कोई आपत्ति हो तो समिति नियम 222 के अन्तर्गत ही आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता को प्रतिवेदन दे सकती है। वर्तमान में आडिट फीस का भुगतान वित्त विभाग द्वारा नियम 220 के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या 5471/दस-300181/74 दिनांक 17.09.1977 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

8. विशेष अनुसंधान शाखा (सह.) :-सहकारी संस्थाओं/समितियों में गबन/ अनियमितताओं प्रकरणों में विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा (सह.) द्वारा की जाती है, तत्पश्चात मुकद्दमों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही सम्पादित करायी जाती है। जिससे कि समितियों में गबन एवं अनियमितता की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगायी जा सकें। राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं०. 3019 सी/12 सी-बी-145/16/69 के द्वारा विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) का गठन किया गया है।

विशेष अनुसंधान शाखा (सह.) में मुख्यालय स्तर पर पुलिस अधीक्षक, का कार्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय स्थापित किये गये हैं। प्रारम्भ में इस शाखा द्वारा रुपये 10 हजार से अधिक के अपराधिक प्रकरणों में विवेचना की जाती थी। शासनादेश संख्या-1294/12 सी-2-108/76 दिनांक 29.07.1997 के द्वारा इसमें वृद्धि कर रुपये 50

हजार तक किया गया है एवं वर्तमान में शासनादेश संख्या-यूओ-07 /49-2-108/76 दिनांक 25.1.03 में रुपये एक लाख से अधिक के प्रकरणों में विवेचना इस शाखा द्वारा की जाती है। इस धनराशि से कम के प्रकरणों में विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जाती है। शाखा के मुख्यालय का पता निम्न प्रकार है :-

पुलिस अधीक्षक,
विशेष अनुसंधान शाखा (सह.)
न्यू हैदराबाद, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

शाखा द्वारा गत 6 वर्षों में प्राप्त प्रकरण एवं उसके सापेक्ष निष्पादन की स्थिति निम्न प्रकार हैं :-

कलेन्डर वर्ष	प्राप्त	निस्तारण
2011	35	27
2012	31	08
2013	26	16
2014	17	18
2015	25	27
2016	16	23
2017 (जुलाई 17)	09	06

शाखा द्वारा अपनी स्थापना से जुलाई 2017 तक किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

प्राप्त प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	अवशेष	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट	गिरफ्तार	आत्म समर्पण प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7
12958	12891	67	11414	1477	7517	4249

द0प्र0सं0 की धारा 82/83 की कार्यवाही	सजा	रिहा	दाखिल दफ्तर
8	9	10	11
2031	2139	777	1530

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि शाखा द्वारा समाधिक रूप से विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है माननीय विभिन्न न्यायालयों में जुलाई 2017 के अन्त में कुल 5124 अभियोग लम्बित हैं जिनमें से पाँच वर्ष तक के 621 तथा पाँच वर्ष से अधिक के 4503 अभियोग लम्बित हैं।

निबन्धक, सहकारी समितियों उ०प्र०, लखनऊ कार्यालय से सहकारी संस्थाओं /समितियों के आडिट एवं उनके परिपालन आदि की संख्यात्मक संकलित सूचना प्राप्त करनी हो तो आडिट अनुश्रवण अनुभाग के प्रभारी से सम्पर्क किया जा सकता है। जनपद एवं मण्डलीय स्तर पर आडिट की सूचना के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/ उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं पंचायते से सम्पर्क किया जा सकता है।